TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRA ORDINARY SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 23rd August ,1995

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further, to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixteenth Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules 1962, -

(i) in rule 12 of the Income-tax rule, 1962, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: -

"(1A) The return setting forth the total income including the undisclosed income for the block period required to be furnished under clause (a) of section 158BC shall be in Form No.2B and be verified in the manner indicated therein." ;and

(ii) in Appendix II, after Form No.2, the following Form shall be inserted, namely:-.

To be filled in by the assessee in duplicate in BLOCK LETTERS	**ACKNOWLEDGEMENT**	ITS 2B **Return Form No. 2B**

Fill in the acknowledgement sheet after filling in the return form. Please fill in every item. You may write "NA" (Not Applicable) or "NIL" where necessary. The information given in this sheet should tally with that in the return.

1.Date on which the last search warrant was executed/requisition u/s 132A made: __ __ - __ __ - 1 9 __

2.PANo./GIRNo.[1]

3.Ward/Circle/Special Range[1]

4.Block period: from __ __ - __ __ - 1 9 __ to __ __ - __ __ - 1 9 __

5.Status[2]

6.Name ([3]last name, first name and middle name)

7.Date of birth/incorporation/formation[1] __ __ - __ __ - __ __

8.Sex[3] (male - M, female - F)

9.Residential Address[3]

PIN: Telephone:

10.Office Address

PIN: Telephone:

11.Father's name[3] (last name, first name and middle name)

12.Details of total income and loss of the previous years comprised in the block period (See Part-II of return)

Previous year (chronologically)	Assessment year	Including undisclosed income		Returned/Assessed	
		Total income(Rs.)	Losses(Rs.)	Total Income(Rs.)	Losses(Rs.)
1st (earliest)	1 9 __ __ - __ __				
2nd	1 9 __ __ - __ __				
3rd	1 9 __ __ - __ __				
4th	1 9 __ __ - __ __				
5th	1 9 __ __ - __ __				
6th	1 9 __ __ - __ __				
7th	1 9 __ __ - __ __				
8th	1 9 __ __ - __ __				
9th	1 9 __ __ - __ __				
10th	1 9 __ __ - __ __				
11th (latest)	1 9 __ __ - __ __				

13.Total undisclosed income of the block Rs. Tax payable Rs.

14.Tax paid on undisclosed income (Attach challan) Date of payment Rs.

<u>To be filled in by the receiving official</u>

Receipt No.: Date
Name:
Designation:
Signature:
Assessing
Officer Code:
Stamp

Assessee's signature:

Date: __ __ - __ __ - 1 9 __

1,2 & 3 - See footnotes in the return form.

Receipt No.......................
Date...............................

FORM NO. 2B

RETURN OF INCOME FOR BLOCK ASSESSMENT

[See sub-rule (1A) of rule 12 of Income-tax Rules, 1962]

PART - I

GENERAL INFORMATION

1.Date on which the last search warrant was executed/requisition u/s 132A made __ - __ - 19__

2.PANo./GIRNo.[1]

3.Ward/Circle/Special Range [1]

4.Block period: from __ - __ - 19__ to __ - __ - 199__

5.Status[2]

6.Name (last name, first name and middle name)

7.Date of birth/incorporation/formation[1] __ - __ - __

8.Sex[3] (male - M, female - F)

9.Residential Address[3]

PIN: Telephone:

10.Office Address

PIN: Telephone:

11.Father's name[3] (last name, first name and middle name)

12.Furnish details along with value(in rupees) as on date of search of seizure/requisition(premises-wise):

	Found	Seized
(a) Cash		
(b) Jewellery		
(c) Other valuables		

13.Addresses of the places where business is conducted including those of branches, godowns etc.

1. Strike out whichever is not applicable.

2. Status

Select the appropriate code number:

	Code
(a) Individual	01
(b) Hindu Undivided Family (other than that mentioned below)	02
(c) Hindu Undivided Family having any member with total income of the previous year exceeding the maximum amount not chargeable to tax	03
(d) Unregistered firm (URF)	04
(e) Registered firm/firm other than the one engaged in profession	05
(f) Registered firm/firm engaged in Profession	06
(g) Association of persons(AOP)	07
(h) Association of persons(Trust)	08
(i) Body of individuals(BOI)	09
(j) Artificial juridical person	10
(k) Co-operativie Society	11
(l) A domestic company in which the public are substantially interested	12
(m) A domestic company which is not a company in which the public are substantially interested	13
(n) A company oither than a domestic company	15
(o) Lcal Authority	16

3. In the case of individual only.

PART - II

COMPUTATION OF TOTAL UNDISCLOSED INCOME

Previous Year (chrono-logically)	Assessment Year	Total income including undisclosed income computed u/s 158BB[4]			Returned/Assessed as on the date of search/requisition[5]		
		Total Income (Rs.)	Losses[6]		Total Income (Rs.)	Losses[6]	
			Source	Amount (Rs.)		Source	Amount (Rs.)
1st (earliest)							
2nd							
3rd							
4th							
5th							
6th							
7th							
8th							
9th							
10th							
11th (latest)							
Total		(A)	(B)		(C)	(D)	

Total undisclosed income for the block period = [{(A) - (C)} + {(D) - (B)}] = Rs. ________________

4. Compute the total income without giving effect to set-off of brought forward losses under Chapter VI or unabsorbed depreciation u/s 32(2) in excess of whatever has been allowed for determining the total income returned/assessed.

5. Give the details in respect of the previous year on the basis of assessment order if the assessment/prima facie adjustment has been completed. Else, give the details on the basis of return of income filed.For the previous year which has not ended or for which the date of filing of the return u/s 139(1) has not expired and the you are in a position to prove to the satisfaction of the Assessing Officer that such income or the transactions relating to such income have been recorded in the books of account and documents maintained in the normal course, such income is to be indicated against that previous year. For any year, if the return has not been furnished for the reason that the taxable income was not above the maximum amount not chargeable to tax, the total income is to be mentioned against that previous year.

6. Losses of the year remaining after set-off under chapter VI.

PART - III

(Fill in separate sheet for each of the assessment years relevant to the previous years falling within the block period.)

TOTAL INCOME AND LOSS OF THE ASSESSMENT YEAR 19 -

1.Previous Year: 2. Residential status[7]:

3.Whether a return of income was furnished before the search/requistion: Yes/No[1]

4.If a return was filed:-

(i) Date of filing the return:

(ii) Ward/circle/special range[1] where the return was filed:

(iii) Returned total income:

(iv) Brought forward loss/unabsorbed depreciation, if any, shown adjusted in the return:
Under section- Amount-

(v) Amount of loss/depreciation remaining unadjusted after computation of total income:
Under section- Amount-

(vi) Date of assessment:

(vii)Assessed total income:

COMPUTATION OF TOTAL INCOME AND LOSS

Head of income	Total income including undisclosed income computed u/s 158BB[4]	Returned/assessed as on the date of search/requisition[5]
(1)	(2)	(3)
SALARIES		
INTEREST ON SECURITIES (If applicable)		
INCOME FROM HOUSE PROPERTY		
PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION		
CAPITAL GAINS: Short term		
Long term		
INCOME FROM OTHER SOURCES		
GROSS TOTAL INCOME		
LESS DEDUCTION UNDER CHAPTER VI-A		
Under section....... Under section....... Under section.......		
TOTAL INCOME		
CURRENT YEAR'S LOSS REMAINING UNADJUSTED AFTER COMPUTATION OF TOTAL INCOME	Source Amount	Source Amount

If there is any difference between the figures column (2) and that of column (3) for any row, please explain how it arose.

---

7. Residential status: Resident/non-resident/resident but not ordinarily resident

PART - IV
STATEMENT OF TAX PAID

1. Tax payable on undisclosed income of the block period Rs.________________
2. Tax paid on undisclosed income before filing the return(Attach challan)
   Date of payment________________ Rs.________________
3. Balance amount payable Rs.________________

PART - V
LIST OF DOCUMENTS/STATEMENTS ATTACHED

Sl.No.	Nature of document/statement	Sl.No.	Nature of document/statement

VERIFICATION

I,..(name in full and block letters) [1]son/daughter of .... (name of father) solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this return and the annexures and statements accompanying it is correct and complete and that the amount of total income including the undisclosed income and other particulars shown therein are truly stated and relate to the previous years falling within the block period from - - 19 to - - 19 .

[8] I further solemnly declare that during the said previous years -

(a) no other income accrued or arose to or was received by me from any asset held in my name or in the name of any other person;

(b) there is no other income, including income of any other person, in respect of which I am chargeable to tax under the Income-tax Act, 1961.

[9] I further solemnly declare that during the said previous years -

(a) no other income accrued or arose to or was received by [1]the person for and on whose behalf this return is furnished/the person in respect of whose total income I am assessable from any asset held in [1]the name of the person for and on whose behalf this return is furnished/the name of the person in respect of whose total income I am assessable, or in the name of any other person;

(b) there is no other income including income of any other person in respect of which the said person is chargeable to tax under the Income-tax Act, 1961.

[9] I further declare that I am making this return in my capacity as [10].. and I am competent to make this return and verify it.

Place ....

Date ....

[11](Name and signature)

8. Strike out this declaration if you are not making this return on your own behalf.
9. Stike out this declaration if you are making this return on your own behalf.
10. Write authorised person/guardian /Karta of HUF/member of HUF /Managing Director /Director / Principal Officer/Managing Partner/Partner/Chief Executive Officer as per section 140. Attach power of attorney if you are making this return as an authorised representative.
11. Before signing the declaration, the signatory should satisfy himself that this return and the accompanying annexures and statements are correct and complete in alll respects. Any person making a false statement in the return or the accompanying annexures or statements shall be liable to be prosecuted under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable under that section with rigorous imprisionment and with fine.

F.No. 142/37/95-TPL
No. 9844

(DR. DHEERAJ BHATNAGAR)
UNDER SECRETARY TO GOVT. OF INDIA

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 1995

का० आ० (अ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (~~संशोधन~~ सोलहवाँ) नियम, 1995 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में -

(i) आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 में उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1क) ~~कुल आय बताते हुए विवरणी,~~ धारा 158 ख ग के खंड (क) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित ब्लाक अवधि के लिए कुल आय, जिसके अंतर्गत ~~आय-कर/~~ अप्रकट आय भी है, बताते हुए विवरणी प्ररूप सं० 2ख में होगी और उसका सत्यापन उपदर्शित रीति से किया जाएगा जो उसमें उपदर्शित है।"; और

(ii) परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं० 2 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

निर्धारिती द्वारा दो प्रतियों में स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए । | पावती | आई टी एस 2ख विवरणी प्रूप सं0-2ख-

विवरणी प्रूप को भरने के पश्चात पावती पन्ना भरें ।

कृपया प्रत्येक मद को भरें । जहां आवश्यक हो वहां आप " ला0 न0 " ¥लागू नहीं¥ या कुछ नहीं लिखें । इस पन्ने में दी गई जानकारी उस जानकारी से मिलनी चाहिए जो विवरणी में है ।

1• वह तारीख, जिसको गत तलाशी वारंट निष्पादित किया गया था/ धारा 132क के अधीन अपेक्षा अध्यपेक्षा की गई थी

2• स्थाई लेखा सं0/ जी आई आर सं0 | 1 | 3 वार्ड/ सर्किल/विशेष रेंज

4• ब्लाक अवधि | 19 | से | | तक | 5• प्रास्थिति [2]

6• नाम ¥ [3]अंतिम नाम, प्रथम नाम और मध्य नाम

7 जन्म तिथि /निगमन/बनाया जाना | 1 | 8• पुरुष-पु0, महिला -म०

9• आवास का पता | पिन | टेलीफोन

10• कार्यालय का पता | पिन | टेलीफोन

11• पिता का नाम [3] ¥अंतिम नाम, प्रथम नाम और मध्य नाम

12. ब्लाक, अवधि में समाविष्ट पूर्व वर्षों की कुल आय और हानि के ब्यौरे (विवरणी का भाग-2 देखिए)

पूर्व वर्ष (कालक्रमानुसार)	निर्धारण वर्ष	अप्रकट आय सहित कुल आय (रु०)	अप्रकट आय सहित हानियां (रु०)	विवरणित निर्धारित कुल आय (रु०)	विवरणित निर्धारित हानियां (रु०)
पहला (पूर्वतम)	19				
दूसरा	19				
तीसरा	19				
चौथा	19				
पांचवां	19				
छठा	19				
सातवां	19				
आठवां	19				
नवां	19				
दसवां	19				
ग्यारहवां (अंतिम)	19				

13. ब्लाक की कुल अप्रकट आय	रु०	संदेय कर	रु०
14. अप्रकट आय पर संदत्त कर (चालान संलग्न करें)	संदाय की तारीख		रु०

प्राप्तिकर्ता पदधारी द्वारा भरा जाए	निर्धारितियों के हस्ताक्षर
रसीद सं० नाम पदनाम हस्ताक्षर निर्धारण अधिकारी कोड मुद्रा	तारीख / / 19

1, 2 और 3- विवरणी प्रूप में पाद टिप्पण देखिए ।

रसीद सं० -----

तारीख -------

प्रपत्र सं० 2 ख

ब्लाक निर्धारण के लिए आय की विवरणी

{आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 का उपनियम {1क} देखिए}

भाग - 1

साधारण जानकारी

1. वह तारीख, जिसको गत तलाशी वारंट निष्पादित किया गया था/धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी

2. स्थाई लेखा सं० /जी आई आर सं०[1]
3 वार्ड/सर्किल/विशेष रेंज[1]

4. ब्लाक अवधि से तक 5 प्रास्थिति

6. नाम {अंतिम नाम, प्रथम नाम और मध्य नाम)

7. जन्म तिथि/निगमन/बनाया जाना
8. {पुरुष-पु0, महिला-म}

9. आवास का पता[3]
पिन टैलीफोन

10 कार्यालय का पता
पिन टैलीफोन

11. पिता का नाम {अंतिम नाम, प्रथम नाम और मध्य नाम)

12. तलाशी अभिग्रहण /अध्यपेक्षा {परिवार-वार} की तारीख से मूल्य {रुपयों में} सहित ब्यौरे दें :

	पाए गए	अभिगृहीत
{क} नकद		
{ख} आभूषण		
{ग} अन्य मूल्यवान वस्तुएं		

13. उन स्थानों के, जहां कारबार का संचालन किया जाता है जिसके अंतर्गत उसकी शाखाएं, गोदामें, आदि आते हैं, के पते

1· जो लागू न हो उसे काट दें ।

2· प्रास्थिति

(क) उपयुक्त कोड संख्यांक का चयन करें :

(ख) व्यक्ति 01

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (नीचे उल्लिखित से भिन्न) 02

(ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जिसके किसी सदस्य की कुल आय पूर्व वर्ष उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है । 03

(घ) अरजिस्ट्रीकृत फर्म 04

(ङ) रजिस्ट्रीकृत फर्म/ उस फर्म से भिन्न फर्म जो वृत्ति में लगी है 05

(च) रजिस्ट्रीकृत फर्म / फर्म जो वृत्ति में लगी है 06

(छ) व्यक्तियों का संगम (ए· ओ· पी·) 07

(ज) व्यक्तियों का संगम (न्यास) 08

(झ) व्यष्टि निकाय(पी· ओ· आई·) 07

(ञ) कृत्रिम विधिक व्यक्ति 10

(ट) सहकारी सोसाइटी 11

(ठ) देशी कंपनी जिसमें जनता सारत: हितबद्ध है 12

(ड) कंपनी जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारत: हितबद्ध है 13

(ढ) देशी कंपनी से भिन्न कंपनी 15

(ण) स्थानीय प्राधिकारी 16

3. केवल व्यक्ति की दशा में ।

भाग - 2

कुल अप्रकट आय की संगणना

पूर्व वर्ष (कालक्रमानुसार)	निर्धारण वर्ष	कुल आय, जिसके अंतर्गत धारा 158 के अधीन संगणित अप्रकट आय भी है			तलाशी / अध्यपेक्षा की तारीख को विवरणित / निर्धारित		
		कुल आय रु0	हानियां		कुल आय (रु0)	हानियां	
			प्रति	रकम (रु0)		स्रोत	रकम (रु0)
पहला (पूर्वतम)							
दूसरा							
तीसरा							
चौथा							
पांचवां							
छवां							
सातवां							
आठवां							
नवां							
दसवां							
ग्यारहवां (अंतिम)							
कुल		क		ख	ग		घ

ब्लाक अवधि के लिए कुल अप्रकट आय = [{(क) - (ग)} + {(घ) - (ङ)}]

= रु०

-------- रु०

4· अध्याय 6 के अधीन अग्रनीत हानियों या ~~[illegible]~~ विवरणित /निर्धारित कुल आय का अवधारण करने के लिए जितना अनुज्ञात किया गया है उससे अधिक धारा 32 (2) के अधीन अनामेलित अवक्षयण के मुजरा किए बिना कुल आय की संगणना करें ।

5· यदि निर्धारण/ प्रथम दृष्ट्या समायोजन पूरा किया गया/है तो निर्धारण आदेश के आधार पर पूर्व वर्ष की बाबत ब्यौरे दें । अन्यथा फाइल की गई आय की विवरणी के आधार पर ब्यौरे दें । उस पूर्व वर्ष के लिए जो समाप्त नहीं हुआ है या जिसके लिए धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख समाप्त नहीं हुई है और यदि आप निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करने की स्थिति में हैं कि ऐसी आय या ऐसी आय से संबंधित संव्यवहार सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और दस्तावेजों में अभिलिखित किए गए हैं, तो ऐसी आय को पूर्व वर्ष के सामने उपदर्शित किया जाता है । यदि किसी वर्ष के लिए इस कारण से विवरणी नहीं दी गई है कि कराधेय आय जिस अधिकतम (कुल) रकम से जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, अधिक नहीं थी जो कुल आय उस पूर्व वर्ष के सामने उल्लिखित की जानी है ।

6· अध्याय 6 के अधीन मुजरा के पश्चात वर्ष की शेष हानियां ।

भाग - 3

(ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले पूर्व वर्षों से सुसंगत प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए पृथक पन्ना भरें)

निर्धारण वर्ष, 19 की कुल आय और हानि

1. पूर्व वर्ष :   2. निवासीय प्रास्थिति :

3. क्या आय की विवरणी तलाशी/अध्यापेक्षा से पूर्व दी गई थी: हां/नहीं

4. यदि विवरणी फाइल की गई थी तो :-

(i) विवरणी फाइल करने की तारीख :

(ii) वार्ड/सर्किल/विशेष रेंज, जहां विवरणी फाइल की गई थी :

(iii) विवरणित कुल आय :

(iv) विवरणी में दर्शित समायोजित अग्रनीत हानि/अनामेलित अवक्षयण, यदि कोई हों, धारा—के अधीन   रकम -

(v) कुल आय की संगणना के पश्चात असमायोजित शेष रकम की हानि/अवक्षयण

धारा - के अधीन   रकम -

(vi) निर्धारण की तारीख

(vii) निर्धारित कुल आय:

कुल आय और हानि की संगणना

आय का शीर्ष	कुल आय जिसके अंतर्गत धारा 158 खख के अधीन संगणित अप्रकट आय भी है	तलाशी/अध्यपेक्षा की तारीख को विवरणित/निर्धारित
(1)	(2)	(3)
वेतन		
प्रतिभूतियों पर ब्याज (यदि लागू हों)		

गृह संपत्ति से आय

कारबार या वृत्ति के
लाभ और अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ :

दीर्घ कालिक
अल्पकालिक

अन्य स्त्रोतों से आय

सकल कुल आय

घटाए : अध्याय 6क के
अधीन कटौती

धारा -- के अधीन
धारा -- के अधीन
धारा -- के अधीन

कुल आय

कुल आय की संगणना के पश्चात असमायोजित शेष चालू वर्ष की हानि	स्त्रोत	रकम	स्त्रोत	रकम

यदि किसी पंक्ति में स्तंभ (2) के आंकड़ों और स्तंभ (3) के आकड़ों में

कोई अन्तर है तो कृपया यह स्पष्ट करें कि वह कैसे हुआ ।

7. निवासीय प्रास्थिति : निवासी, अनिवासी /निवासी किन्तु जो सामान्यतया निवासी नहीं है ।

भाग – 4

संदत्त कर का विवरण

1. ब्लाक अवधि की अप्रकट आय पर संदेय कर ---------- रु0

2. विवरणी फाइल करने से पूर्व अप्रकट आय पर संदत्त कर [चालान संलग्न करें]

-------- रु0

संदाय की तारीख ------------------- रु0

3. संदेय अतिशेष रकम

भाग – 5

संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की सूची

क्रम सं0	दस्तावेज/विवरणी की प्रकृति	क्रम सं0	दस्तावेज/विवरणी की प्रकृति

सत्यापन

मैं --------[स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम] जो [पिता का नाम --------- का पुत्र/की पुत्री हूँ, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरण में और इससे संलग्न उपाबंधों और विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा उसमें दर्शित कुल आय की रकम, जिसमें अप्रकट आय भी है, और अन्य विशिष्टियों का उल्लेख सही-सही किया गया है तथा ये 19------- से ------- तक की ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले पूर्व वर्षों के संबंध में है।

8. मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा भी करता हूँ/करती हूँ कि उक्त पूर्व वर्षों के दौरान :-

[क] मुझे मेरे नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में धारित किसी आस्ति ~~आस्ति~~ से कोई अन्य आय न तो प्रोद्भूत हुई है न उद्भूत हुई है और न प्राप्त हुई है ;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आय सहित ऐसी कोई अन्य आय नहीं है, जिसकी बाबत मैं आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर से प्रभार्य हूँ ।

७[1] मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा भी करता हूँ/करती हूँ कि उक्त पूर्व वर्ष के दौरान –

(क) उस व्यक्ति के जिसके लिए और ~~जिसके~~/ जिसकी ओर से यह विवरणी दी जा रही है। उस व्यक्ति के जिसकी कुल आय की बाबत मेरा निर्धारण किया जा सकता है/उस व्यक्ति के, जिसके लिए और जिसकी ओर से यह विवरणी दी जा रही है/उस व्यक्ति के, जिसकी कुल आय की बाबत ~~अन्य~~/ मेरा निर्धारण किया जा सकता है, नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में धारित किसी आस्ति से कोई अन्य आय न तो प्रोद्भूत हुई है, न उद्भूत हुई है और न प्राप्त हुई है ;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की आय सहित ऐसी कोई अन्य आय नहीं है जिसकी बाबत उक्त व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर से प्रभार्य है ।

८[1] मैं यह भी घोषणा करता /करती हूँ कि मैं यह विवरण ------- 10 की हैसियत से तैयार कर रहा /रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और इसको सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ ।

स्थान :   " (नाम और हस्ताक्षर)

तारीख :

---

8. यदि आप अपनी ओर से इस विवरणी को तैयार नहीं कर रहे हैं तो इस घोषणा को काट दें ।

9. यदि आप अपनी ओर से इस विवरणी को तैयार कर रहे है तो इस घोषणा को काट दें ।

10. धारा 140 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति/ संरक्षक /हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कर्ता/हिन्दू अविभक्त कुटुंब का सदस्य/प्रबंध निदेशक/निदेशक/प्रधान अधिकारी/प्रबंध भागीदार/मुख्य कार्यालय अधिकारी लिखें । यदि आप प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इस विवरणी को तैयार कर रहे हैं तो मुख्तार नामा संलग्न करें ।

11. घोषणा हस्ताक्षर करने से पूर्व, हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी और संलग्न उपाबंध तथा विवरण सही और सभी प्रकार से पूर्ण हैं । इस विवरणी या संलग्न उपाबंधों या विवरणों में कोई मिथ्या कथन करने वाला व्यक्ति आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन के दायित्व के अधीन होगा और दोषसिद्धि पर उस धारा के अधीन कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

सं० . 9844
फा०सं० 142/37/95टीपीएल

(डा० पंकज भटनागर)
अवर सचिव, भारत सरकार